मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक : 46/आर–22/2021/ब–1/चार — भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

2. **समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,**
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुमान के संबंध में ।

संदर्भ :–
1. इस विभाग का परिपत्र क्रमॉक : 350/आर.22/2021/ब–1/चार, दिनांक 31 मार्च 2021
2. परिपत्र क्रं.–एल–1–10/451/2021/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2021

000

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संदर्भित पत्र क्रं0–1 की कंडिका (II) व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत बिन्दु क्रं0–4 की उपकंडिका 4.1 में त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण प्रारूप–2 अनुसार किया गया था। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 के चतुर्थ त्रैमास की शेष अवधि हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट प्रावधान एवं प्रथम अनुपूरक बजट अनुमान का 36 प्रतिशत (अधिकतम) तथा द्वितीय अनुपूरक बजट अनुमान के संपूर्ण प्रावधान की व्यय सीमा निर्धारित की जाती हैं ।

2/– वित्तीय वर्ष 2021–22 के द्वितीय अनुपूरक बजट अनुमान के राजस्व एवं पूंजीगत मदों की संपूर्ण राशि कंडिका 3 के अधीन रहते हुए विमुक्त की जाती है ।

3/– संदर्भित पत्र क्रं0–1 एवं 02 द्वारा लगाये गये निम्नानुसार प्रतिबंध पूर्वानुसार यथावत लागू रहेंगे :–

- संदर्भित पत्र क्रं0–1 की कंडिका (II) व्यय की त्रैमांसिक कार्य योजना अंतर्गत बिन्दु क्रं0–4 की उपकंडिका 4.2 में विशेष व्यय सीमा से संबंधित व्यवस्था ।
- संदर्भित पत्र क्रं0–1 की कंडिका (I) बजट आवंटन के बिन्दु क्रं0–2 के (iv) अनुसार परिशिष्ट–3 में उल्लेखित योजनाओं में वित्त विभाग से अनुमति उपरांत ही आहरण करने संबंधित व्यवस्था ।
- संदर्भित पत्र क्रं0–1 की कंडिका (III) अन्य निर्देश के बिन्दु क्रं0– (viii) अनुसार केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत ही आहरण किया जाना ।
- संदर्भित पत्र क्रं0–2 द्वारा राशि ₹ 25 करोड़ से अधिक के देयकों के कोषालय से आहरण पर प्रतिबंध।

4/— संदर्भित पत्र क्र—1 के परिशिष्ट—3 में निम्नांकित विभागों की योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है:—

क्र.	विभाग का नाम	योजना क्रमांक व नाम
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	4610— अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान
2	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	8017— वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान
3	श्रम विभाग	2365— मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमॉक : 47/आर—22/2021/ब—1/चार भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2022

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन,मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव/संचालक बजट/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द कुमार गुप्ता)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग